भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

892540

Notary Public Koderma ADV. BURNWAL : D. P. En. No.-116/2003 Koderma Govt. of Jharkhand

ADV. BURNWAL D. P. NOTARY PUBLIC KODERMA

27/01/2012

<u>घरेलु – बटवारानामा</u>

यह घरेलू बटवारानामा आज दिनांक 27/01/2012 को श्रीमती राम प्यारी देवी पत्नी स्व० सुरजीत सिंह, उम्र– 78 वर्ष, निवासी– गुरुद्वारा रोड़, वार्ड नं०– 14, झुमरी तिलैया, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा जो इस विलेख का प्रथम पक्षकार है।

एवम्

नरेन्द्र सिंह पिता स्व० लधा सिंह, उम्र– 70 वर्ष, निवासी– गुरुद्वारा रोड़, वार्ड नं०– 14, झुमरी तिलैया, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा जो इस विलेख के द्वितीय पक्षकार है, के बीच निष्पादित किया गया है।

चूँकि प्रथम पक्ष के पति स्व० सुरजीत सिंह द्वितीय पक्ष नरेन्द्र सिंह के सहोदर भाई थे और दोनों भाई शामिलात रुप में रहते हुए झुमरी तिलैया में संयुक्त व्यापार प्रारम्भ किया और संयुक्त व्यापार की आमदनी से दिनांक 26/06/1975 को निबंधित विक्रय पत्र द्वारा $0.8\frac{1}{2}$ डी० जमीन सरदार सोहन सिंह से प्रथम पक्ष के

Notary Public Koderma ADV. BURNWAL : D. P. En. No.-116/2003 Koderma Govt. of Jharkhand

Narendra Singh

27/01/2012

Narendrasingh

NOTARY PUBLIC
KODERMA

नाम दाखिल किया जिसका विस्तृत विवरण नीचे अनुसूची (क) में दर्ज है और इस विलेख का अंग है एवं दिनांक 20/06/1975 को ही संयुक्त व्यापार की कमाई से प्रथम पक्ष के नाम 0.0$\frac{1}{2}$ डी० जमीन सरदार प्रीतम सिंह से खरीदा जिसका विस्तृत विवरण नीचे अनुसूची (ख) में दर्ज है और इस विलेख का अंग है। संयुक्त रूप से रहते हुए दोनों भाइयों ने मिलकर अनुसूची (क) की जमीन पर मकान का भी निर्माण किया जिसमें अभी तक दोनों पक्ष निवास कर रहे हैं। शामिलात रहते हुए ही द्वितीय पक्ष के भाई सुरजीत सिंह की मृत्यु हो गयी और वर्तमान में उभय पक्ष मय वारिसान संयुक्त रूप से रहते हुए अनुसूची (क) एवं (ख) की सम्पत्ति का उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे हैं।

चूँकि उभय पक्षों का परिवार काफी विस्तृत हो गया है और रहन–सहन इत्यादि में कठिनाई हो रही है। अतः उभय पक्षों ने आपस में सोच विचार कर निर्णय किया कि उपरोक्त संयुक्त सम्पत्ति का विभाजन आपस में कर लिया जाए ताकि भविष्य में किसी भी पक्ष या उनके वारिसानों को कोई परेशानी न हो। निर्णयानुसार यह तय हुआ कि अनुसूची (क) में वर्णित सम्पत्ति एवं उस पर स्थित मकान प्रथम पक्ष की रहेगी और ठीक उसी तरह अनुसूची (ख) में वर्णित सम्पत्ति जो वर्तमान में परती जमीन है वह द्वितीय पक्ष की रहेगी और द्वितीय पक्ष का ही एकमात्र स्वामित्व आज की तिथि से मान्य होगा और प्रथम पक्ष या उनके वारिसान अनुसूची (ख) की सम्पत्ति पर कोई दावी करते है तो वह नाजायज और गैरकानूनी माना जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत बटवारानामा के आधार पर अंचल द्वारा उभय पक्ष अलग–अलग दाखिल खारिज करवाकर सरकारी माजगुजारी रसीद प्राप्त करेंगे।

इस प्रकार उभय पक्ष प्रस्तुत बटवारानामा को पढ़ वो पढ़वाकर, सुन वो समझकर, स्वस्थ एवं राजी खुशी मन से उपरोक्त सारी बातों को स्वीकार करते हुए उपस्थित गवाहों के समक्ष अपना–अपना हस्ताक्षर इस बटवारानामा पर स्वेच्छा से बना दिया जो भविष्य में काम आवे।

Narendra Singh

Narendra Singh

(13)

NOTARY PUBLIC
KODERMA

अनुसूची – (क) की सम्पत्ति (जो प्रथम पक्ष को प्राप्त हुई)

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	चौहदी
पुराना – नया	पुराना – नया	0.8$\frac{1}{2}$ डी०	उ०– प्रीतम सिंह
290 – 589	3267 – 7317		द०– रास्ता
292			पू०– रास्ता
			प०– सड़क

मौजा– झुमरी तिलैया, थाना–कोडरमा, वर्त्तमान कोडरमा (उपरोक्त सम्पत्ति विक्रय पत्र सं० 13940, दिनांक 26/06/1975 द्वारा प्रथम पक्ष के नाम से हासिल किया गया है, जिसके लेख्यकारी सरदार सोहन सिंह हैं।)

अनुसूची – (ख) कि सम्पत्ति (जो द्वितीय पक्ष को प्राप्त हुई)

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	चौहदी
पुराना – नया	पुराना – नया	रकवा	चौहदी
292 – 589	3241 – 7317	0.8$\frac{1}{2}$ डी०	उ०– रामलाल गुटनेजा
290			द०– सरदार सोहन सिंह
			पू०– रास्ता
			प०– सड़क

Ram Pyari Devi & others
Dineshwar Singh
27.01.2012

मौजा– झुमरी तिलैया, थाना– कोडरमा वर्त्तमान तिलैया, जिला– हजारीबाग वर्त्तमान– कोडरमा (उपरोक्त सम्पत्ति विक्रय पत्र सं० 13939 दिनांक 26/06/1975 जिसका सुधार पत्र दस्तावेज सं० 505) दिनांक 21/01/1981 द्वारा प्रथम पक्ष के नाम से हासिल क़िया गया है जिसके लेख्यकारी सरदार प्रीतम सिंह है।

गवाहों का हस्ताक्षर

(1) Alder Singh

(2) [illegible]

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

Nagendra Singh

Identified the signature both parties and witness.

Adv.
27.01-2012

Nagendra Singh